

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

॥ विधान सभा तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
शुक्रवार, 29 सितम्बर, 1995 / आश्विन 7, 1917 ॥शक॥

संख्या. 216

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस, नई दिल्ली ज़िला, नई दिल्ली से 25 सितम्बर, 1995 की निम्नलिखित संसूचना 26 सितम्बर 1995 को प्राप्त हुई :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय सदस्य सर्वश्री रामवीर सिंह विधुड़ी, परवेज हाशमी एवं मतीन अहमद को उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात् दिनांक: 25. 9. 95 को अपराह्न 12. 55 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबन्दी किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 25. 9. 95 को अपराह्न 2. 10 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Friday, September 29, 1995/Ashvina 0, 1917 (Saka)

No.216

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated the 25th September, 1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Addl. Dy. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 26th September, 1995 :-

"I have the honour to inform you that S/Shri Ramvir Singh Bidhuri, Parvej Hashmi & Matin Ahmed, Hon'ble members of Legislative Assembly, N.C.T. of Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 12.55 P.M. on 25.9.95.

They were released at 2.10 P.M. from Police Station, Parliament Street, New Delhi, the same day, i.e. 25.9.95."

P.N. GUPTA
SECRETARY